

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ4[ई]रिफ्रे.कोर्स[ख.ले.]अलेसे-III 11442 — 11506 दिनांक 13-1-2012

कार्यालय आदेश - 230/2011-2012

निम्नलिखित खण्डीय लेखाकारों को ह0च0मा0रा0राज्य लोक प्रशासन प्रशिक्षण केंद्र, कोटा द्वारा दिनांक 13-14 फरवरी, 2012 तक आयोजित लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम {पीडब्लूएफएआर} के 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 15 फरवरी, 2012 को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1.	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	अधि.अभि. सा.नि.वि. नेशनल हाइवे बांरा
2.	ललित कुमार राठौड	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड-प्रथम बांरा
3.	महेश कुमार अग्रवाल	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड धौलपुर
4.	श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल	अधि.अभि. जल संसाधन चम्बल परियोजना प्रोजेक्ट डीविजन कोटा
5.	श्री जतीश कुमार दुबे	अधि.अभि. पीएचईडी नगर खण्ड-1, कोटा
6.	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन	अधि.अभि.सार्व.निर्माण विभाग यांत्रिक खण्ड कोटा
7.	श्री राकेश कुमार सिंघल	अधि.अभि. पीएचईडी रामगंजमण्डी (कोटा)
8.	धनश्याम नागर	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज्यमार्ग कोटा
9.	अशोक कुमार अग्रवाल	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग राष्ट्रीय राज्यमार्ग खण्ड करौली
10.	महेन्द्र कुमार शर्मा,	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग, खण्ड करौली
11.	विष्णु कुमार गुप्ता	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग खण्ड हिण्डोन {करौली}
12.	विष्णु लाल शर्मा	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड हिण्डोन {करौली}
13.	अरविन्द कुमार जैन	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड झालावाड
14.	कन्हैया लाल जैन	अधि.अभि सार्व.निर्माण विभाग खण्ड-11 अकलेरा {झालावाड}
15.	पवन कुमार शर्मा	अधि.अभि.जल संसाधन कालीसिंध परियोजना खण्ड झालावाड
16.	राजेश नरुका	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परि० खण्ड-1 झालावाड
17.	संजय कुमार व्यास	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड झालावाड
18.	श्री दीनदयाल वर्मा	अधि.अभि. सार्व.निर्माण विभाग खण्ड बौली {सवाईमाधोपुर}
19.	गिरिराज किशोर जिन्दल	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड सवाईमाधोपुर
20.	महेश कुमार गुप्ता	अधि.अभि जल संसाधन खण्ड सवाईमाधोपुर
21.	रामावतार गुप्ता	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चम्बल सवाईमाधोपुर नादौती परियोजना खण्ड-1 सवाईमाधोपुर
22.	श्री मेवाराम हाथीवाल	अधि.अभि. सीएडी डीविजन -चतुर्थ बीसलपुर परियोजना टोंक
23.	मोहम्मद असलम,	अधि.अभि जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक
24.	पदम कुमार जैन	अधि.अभि बीसलपुर खण्ड प्रथम देवली {टोंक}
25.	मेधराज शर्मा	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड सीकर
26.	लक्ष्मणराम कृष्णिया	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड सीकर
27.	राकेश कुमार अग्रवाल	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड डीग जिला भरतपुर

28.	धनश्याम दास गुप्ता	अधि.अभि.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चम्बल धौलपुर भरतपुर परियोजना खण्ड-भरतपुर
29.	लखन लाल गोयल	अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड बयाना {भरतपुर}
30.	महावीर जैन	अधि.अभि. पीएचईडी, नगर खण्ड द्वितीय कोटा

उपरोक्त खण्डीय लेखाकारों को आदेश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 13.02.2012 को प्रातः 9:15 बजे ह0च0मा0रा0राज्य लोक प्रशासन संस्थान, केआर-20, सिविल लाईन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर पालना से अवगत कराये । उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरान्त लिखित परीक्षा पास करना आवश्यक है । प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया गैर आवासीय रखा गया है ।

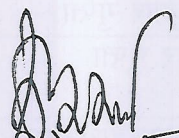
प्रशिक्षण समाप्ति पर उपरोक्त सभी खण्डीय लेखाकार अपने-अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति देगे ।

कमांक-एफ4ई}रिफे.कोर्स{ख.ले.}अलेसे-III 11442 - 11506 निदेशक दिनांक 13-1-2012
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, ह0च0मा0राज0 राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 10572 दि. 04.01.2012 के क्रम में ।
- 2 श्री महेश चन्द्र राजोरिया, अतिरिक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, (परीक्षाएँ), रीपा, जयपुर
- 3 अतिरिक्त निदेशक ह0च0मा0रा0राज्य लोक प्रशासन संस्थान, केआर-20, सिविल लाईन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा
- 4 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया मनोनीत खण्डीय लेखाकार को उक्त प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करायें ।
- 5 श्री खण्डीय लेखाकार कार्यालय

को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति की सूचना अविलम्ब भिजवायें । प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय पर उपस्थिति न देने की अवस्था में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । प्रशिक्षण हेतु किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जायेगी । अतः अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जाये ।

- 6 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 7 कम्प्यूटर शाखा {वेबसाइट हेतु }
- 8 निजी पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)